राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प. 2 (1) साप्र/2/2015 जयपुर, दिनांक 17/10/16

–: आदेश :–

डॉ. विनोद शर्मा, सहायक आचार्य, न्यूरो सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर जिनकी द्वितीय श्रेणी की वरियता 59/2016 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.8.2037 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए **"आउट ऑफ टर्न"** के आधार राजकीय आवास संख्या 6/3, हीराबाग, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तेः–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगीः–

   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

9 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

- 140 -D:\kailash\Allotment Order 2013\Allotment II.doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री , सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी टीप संख्या विस/म/साअ/2016/2052 दिनांक 16.9.2016 के क्रम में।
4. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कोषाधिकारी कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–II, मुख्यालय, जयपुर
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/हीराबाग, जयपुर ।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, रामबाग सर्किल, गांधीनगर, जयपुर ।
10. डॉ. विनोद शर्मा, सहायक आचार्य, न्यूरो सर्जरी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, हीराबाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या–7 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव